



राजस्थान सरकार  
राज्य स्वास्थ्य समिति (एन0आर0एच0एम0)  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्र सं एफ-20 (ए एण्ड एफ) / एनआरएचएम / एच0आर0डी0 / 09-10 / 42 )

दिनांक 19-2-13

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति की 28 वीं अधिशाषी समिति बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 के बिन्दु संख्या 23 के अन्तर्गत लिये निर्णय के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्तर से नीचे कार्यरत समस्त सविदा कार्मिक यथा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, लेखाकार, चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर, आयुष कंपाउंडर, पी.एच.सी. आशा सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट, जी.एन.एम, ए.एन.एम, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि के वार्षिक कार्य अवधि विस्तार हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति अथवा मनोनित अधिकारी        | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति | सचिव    |
| 3 | अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी                             | सदस्य   |
| 4 | जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम                                     | सदस्य   |

कमेटी इन सविदा कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपरान्त कार्मिकों को पुनः 11 माह का अवधि विस्तार देने या ना देने का निर्णय करेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर कार्यरत अन्य सविदा कार्मिकों के संबंध में पूर्ववत निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जावेगा। सविदा कार्मिकों के वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि संबंधी आदेश अलग से जारी किया जावेगा।

(भवानी सिंह देथा)  
मिशन निदेशक  
एनआरएचएम

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त जिलें।
3. वित्तीय सलाहकार-एनआरएचएम
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिलें।
6. कार्यालय प्रति।

वित्तीय सलाहकार 10  
एनआरएचएम